# अति अल्पकालीन नीलामी सूचना

(1)

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम, हरिद्वार कार्यालय प्रांगण में निगम स्वामित्व के विभिन्न प्रजातियों के 133 वृक्ष खडे है, जिनमें से एक सेमल, जामुन व खडल–बडल व यूकेलिप्टस के 05 वृक्ष अपनी आयु लगभग पूर्ण कर चुके है, जिनको जनहित में कटवाये जाने व अन्य वृक्षों की लौपिंग–चौपिंग की जानी है, जिनकी नीलामी दिनांक 17.02.2021 को समय 2.00 बजे नगर निगम, हरिद्वार, निगम सभागार में करने जा रही है। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदारों को नीलामी में भाग लेने हेतु अंकन रू0 7000/– की धरोहर राशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 आदि जो लेखाधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार के नाम बन्धक हो जमा करानी होगी।

सार्वजनिक नीलामी में सर्वोच्च बोलीदाता को सम्पूर्ण धनराशि स्वीकृति पत्र के आधार पर एकमुश्त जी0एस0टी0 सहित कार्यालय में जमा करनी होगी। किसी भी नीलामी को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार में निहित हैं, वृक्षों का विवरण निम्नवत है

| क्र0सं0 | प्रजाति व दशा | वर्ग | संख्या | मूल्यांकन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सेमल हरा खडा | 9 से ऊपर | 01 | 11,500.00 |
| 2 | जामुन खोखला | 7 से ऊपर | 02 | 13,434.00 |
| 3 | खडल–बडल | 9 से ऊपर | 01 | 12,657.00 |
| | | योग | 04 | **37,591.00** |

| क्र0सं0 | प्रजाति व दशा | वर्ग | संख्या | मूल्यांकन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | यूकेलिप्टस हरे खडे वृक्ष | 50–55 | 05 | 26,250.00 |
| | | योग | 05 | **26,250.00** |
| | | कुल महायोग | 09 | **63,841.00** |

सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा उक्त पेडों की लोपिंग चोपिंग की स्वीकृति उपरान्त निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :–

1– कोविड–19 महामारी के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

2– लोपिंग–चोपिंग का कार्य सम्बन्धित रेंज अधिकारी की देखरेख में कराया जायेगा।

3– अति आवश्यक लोपिंग–चोपिंग के अतिरिक्त लोपिंग कार्य नहीं किया जायेगा।

4– लोपिंग–चोपिंग का कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य ही किया जायेगा।

5– लोपिंग–चोपिंग में लगे श्रमिकों के फोटो व पहचान पत्र संबंधित रेंज के पास जमा करना होगा।

6– लोपिंग–चोपिंग करते समय विद्युत लाईन बचाकर कार्य करना होगा।

7– किसी भी प्रकार की क्षति होने पर वन विभाग एवं नगर निगम द्वारा कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अन्य शर्तें व जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सम्पत्ति अनुभाग, नगर निगम, हरिद्वार के कार्यालय में देखी जा सकती है।

(उत्तम सिंह नेगी)
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, हरिद्वार
o/c

## कार्यालय नगर निगम, हरिद्वार

पत्रांक 3255/सम्पत्ति/2020–21 दिनांक 10.02.2021

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, हरिद्वार।

2– जिलाधिकारी कार्यालय हरिद्वार, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसील, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण कार्यालय पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

3– लेखाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम,हरिद्वार/नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया है।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, हरिद्वार
o/c

11-02-2021
11-02-21
11-2-21

Scanned with CamScanner

# कार्यालय नगर निगम, हरिद्वार

## नीलामी शर्तें

(8)

नगर निगम, हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के कार्यालय पत्रांक 4484/2–3 हरिद्वार दिनांक 09.02.2021 व पत्रांक 4485/2–3 हरिद्वार दिनांक 09.02.2021 के अनुसार पेडों की कटाई एवं लोपिंग–चोपिंग का कार्य पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करते हुए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की जाती है:–

1– नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को अंकन रू0 7000/–धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 लेखाधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार के नाम बन्धक कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

2– सार्वजनिक नीलामी में सर्वोच्च बोलीदाता को सम्पूर्ण धनराशि स्वीकृति पत्र के आधार पर एकमुश्त जी0एस0टी0 सहित जमा करनी होगी।

3– नीलामी में भाग लेने हेतु ठेकेदार की धरोहर को ठेके की राशि में समायोजित नहीं किया जायेगा, अपितु ठेका अवधि/कार्य समाप्ति के बाद अवमुक्त की जायेगी।

4– नीलामी ठेका स्वीकृत/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार में निहित है, जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

5– नीलामी में सर्वोच्च बोलीदाता व द्वितीय बोलीदाता की जमा धरोहर राशि उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।

6– नीलामी में हर प्रकार के वाद–विवाद का न्यायालय क्षेत्र हरिद्वार ही होगा।

7– निर्धारित देयकों का भुगतान स्वीकृति पत्र प्राप्ति में दी गयी तिथि तक जमा करना होगा।

8– सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा पेडों की लोपिंग–चोपिंग के समय हरिद्वार वन प्रभाग के पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन जान–माल को सुरक्षित रखते हुए उक्त कार्य सम्पादित करना होगा।

9– सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य सम्पादित करते समय निगम व सरकारी/व्यक्तिगत सम्पत्ति आदि की क्षति होने/पहुंचाने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार वसूली जायेगी।

10– विद्युत लाईन व भवन आदि की सुरक्षा का समस्त उत्तरदायित्व सर्वोच्च बोलीदाता/ठेकेदार का होगा।

11– यह कि ठेकेदार द्वारा उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के उक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं नगर निगम की शर्तों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी, जिसमें समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

(हस्ताक्षर)

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, हरिद्वार।

Scanned with CamScanner